न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 330/2018

1. श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नि श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भुंवाड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासी C/o श्रीमती प्रतिभा राठौड़, मकान नम्बर बी–69, श्री रामनगर, खिरणी फाटक रोड़, झोटवाड़ा जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. खेमेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भुंवाड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुए के पास, लोहाखान, अजमेर राज0
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भुंवाड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुए के पास, लोहाखान, अजमेर राज0
3. श्रीमती ज्ञान कंवर पत्नि श्री कर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भुंवाड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासी प्लॉट नम्बर 189, प्रताप नगर, कुए के पास, लोहाखान, अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 18/8/21

उपस्थितः श्री परमानन्द शर्मा — प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थीगण

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील श्री परमानन्द शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर उनकी एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण को दिनांक 12.12.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी की कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 24 ख0नं0 508/141 रकबा 10–01–00, खाता सं0 नया 55 पुराना 54 ख0नं0 424 रकबा 07–04–00, खाता संख्या नया 54 पुराना 53 ख0नं0 76 रकबा 01–02–00, ख0नं0 422 रकबा 02–00–00 कुल किता 2 कुल रकबा 06–02–00, खाता संख्या नया 23 पुराना 25 ख0नं0 264 रकबा 00–03–00, ख0नं0 265 रकबा 27–02–00 एवं ख0नं0 275 रकबा 17–15–00 कुल किता 3 कुल रकबा 45–00–00 भूमि ग्राम भुंवाड़ा पटवार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

हल्का भुंवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में बंटवारा नहीं हो रखा है इस कारण प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य आये दिन काश्त करने के सन्दर्भ में विवाद होता रहता है, जिसके कारण कई मर्तबा प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर समय पर काश्त करने से वंचित हो जाती है। जुलाई 2018 के प्रथम सप्ताह में प्रार्थीया के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने/करवाने पर अप्रार्थी सं0 1 से 2 के द्वारा बाधा कारित कर प्रार्थीया को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने की धमकी दी। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की नियत खराब होने के कारण एवं प्रार्थीया के वृद्ध होने का गलत फायदा लेकर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अप्रार्थी सं0 1 से 2 के द्वारा बाधा कारित करने का प्रयास किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का हिस्से अनुसार सहमती से विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कर राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने हेतु दिनांक 11.11.2018 को कहा गया, किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा सहमती से बंटवारा करवाने से इन्कार करते हुए कहा कि हम तुम्हारे को तुम्हारे हिस्से की भूमि पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर नुकसान पंहुचाते रहेंगे। वाद कारण जुलाई 2018 के प्रथम सप्ताह में प्रार्थीया के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने व करवाने पर अप्रार्थी सं0 1 से 2 के द्वारा बाधा कारित करने पर व दिनांक 11.11.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा सहमती से बंटवारा करवाने से मना करने पर उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। अतः वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीया के 1/4 हिस्सा की हक हिस्सा अधिकार व कब्जे की भूमि पर प्रार्थीया के विधि अनुसार उपयोग उपभोग करने, काश्त करने में अप्रार्थीगण किसी तरह की कोई बाधा कारित नहीं करे इस हेतु प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी किये गये। अप्रार्थीगण के द्वारा उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में बंटवारा नहीं हो रखा है इस कारण प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य आये दिन काश्त करने के सन्दर्भ में विवाद होता रहता है, जिसके कारण कई मर्तबा प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर समय पर काश्त करने से वंचित हो जाती है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का हिस्से अनुसार सहमती से विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कर राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने हेतु दिनांक 11.11.2018 को कहा गया, किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा सहमती से बंटवारा करवाने से इन्कार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। अतः वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीया के 1/4 हिस्सा की हक हिस्सा अधिकार व कब्जे की भूमि पर प्रार्थीया के विधि अनुसार उपयोग उपभोग करने, काश्त करने में अप्रार्थीगण किसी तरह की कोई बाधा कारित नहीं करे इस हेतु प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– इस बिन्दु का भार प्रार्थीया पर था प्रार्थीया द्वारा ग्राम भुंवाड़ा की पेश जमाबन्दीयों अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उनके हक में सिद्ध होता है। अतः उक्त बिन्दू बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति– उक्त दोनो बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीया पर था। सुविधा कि दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीया द्वारा शपथ पूर्वक यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी सं0 1 से 2 द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 1/4 में प्रार्थीया के काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। यदि प्रार्थीया को उनकी आराजी में काश्त करने से रोका गया तो उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम भुंवाड़ा पटवार हल्का भुंवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित प्रार्थीया व अप्रार्थी की कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 24 ख0नं0 508/141 रकबा 10–01–00, खाता सं0 नया 55 पुराना 54 ख0नं0 424 रकबा 07–04–00, खाता संख्या नया 54 पुराना 53 ख0नं0 76 रकबा 01–02–00, ख0नं0 422 रकबा 02–00–00 कुल किता 2 कुल रकबा 06–02–00, खाता संख्या नया 23 पुराना 25 ख0नं0 264 रकबा 00–03–00, ख0नं0 265 रकबा 27–02–00 एवं ख0नं0 275 रकबा 17–15–00 कुल किता 3 कुल रकबा 45–00–00 भूमि में में प्रार्थीया के निहित 1/4 हिस्सा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/08/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)